उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन,

14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 900 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई, दिनांक : 24/08/2019

कार्यालय–ज्ञाप

विद्युत चोरी के प्रकरणों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा **मा0 विशेष न्यायालयों (ई.सी. एक्ट)** में लम्बे समय तक विचाराधीन मामलों में प्रभावी रूप से विभागीय पक्ष प्रस्तुत न किये जाने, विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत चार्ज शीट के साथ दाखिल एसेसमेन्ट रिपोर्ट को मा0 न्यायालयों में विधिक रूप से साबित न किये जाने, सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों अथवा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा योजित मुकदमों के सम्बन्ध में अपर जनपदीय शासकीय अधिवक्ताओं को विद्युत अधिनियम–2003 के संगत प्राविधानों के बारे में पूर्ण जानकारी न दिये जाने आदि के कारण मा0 विशेष न्यायालयों में या तो लम्बे समय तक विद्युत चोरी से सम्बन्धित प्रकरण निर्णय हेतु लम्बित रहते हैं अथवा विभागीय पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत न किये जाने के कारण विभाग के पक्ष में निर्णय नहीं हो पाते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत विद्युत अधिनियम–2003 के विभिन्न संगत प्राविधानों ; जिनके अनुपालन हेतु उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के अध्याय **(8)** एवं संलग्नक **6.3** एवं संलग्नक **6.4** में विस्तृत विवरण दिया गया है एवं समय– समय पर पावर कारपोरेशन द्वारा तद्सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये हैं; के अनुक्रम में एतद्द्वारा वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं:–

1. वितरण निगमों के सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराते समय कारपोरेशन के पत्र संख्याः–806–मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई, दिनांक 03.12.2018 **(संलग्नकः 1)** द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. मा0 विशेष न्यायालयों में सुनवाई हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विवेचना अधिकारी (Investigating Officer) द्वारा आरोप पत्र के साथ राजस्व निर्धारण रिपोर्ट (Assessment Report) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये। विवेचक अधिकारी द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाये कि मा0 विशेष न्यायालय में प्रस्तुत (दाखिल) किये जाने वाले आरोप पत्र के साथ विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–154(5)** में दिये गये प्राविधानानुसार मा0 न्यायालय द्वारा तय की जाने वाली सिविल लाइबिलिटी हेतु उपभोक्ता के विरूद्ध राजस्व निर्धारण रिपोर्ट, जैसा कि उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड **8.1 b (iv)** में प्राविधानित है, भी प्रस्तुत की गयी है।

उपर्युक्त राजस्व निर्धारण रिपोर्ट में विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के प्राविधानों के अनुसार–उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड **8.1 b (iv)** में प्राविधानित संलग्नक 6.3 में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्व निर्धारण आगणित किये जाने का उल्लेख भी स्पष्टतः किया जाये, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के खण्ड **8.1 (a) (v)** में प्राविधानित **संलग्नक 6.4** के प्रारूप के अनुसार तैयार इन्सपेक्शन रिपोर्ट पर आधारित होगी।

3. (a) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी से सम्बन्धित मा0 न्यायालयों में योजित मुकदमों में विद्युत अधिनियम –2003 की धारा–**135 e(i)** व **e(ii)** के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक दण्ड से सम्बन्धित **निम्नलिखित प्राविधानों** का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

धारा–135 :–

"...Provided that in a case where the load abstracted, consumed, or used or attempted abstraction or attempted consumption or attempted use-

e(i) does not exceed 10 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be less than three times the financial gain on account of such theft of electricity and in the event of second or subsequent conviction the fine imposed shall not be less than six times the financial gain on account of such theft of electricity.

e(ii) exceeds 10 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be less than three times the financial gain on account of such theft of electricity and in the event of second or subsequent conviction, the sentence shall be imprisonment for a term not less than six months, but which may extend to five years and with fine not less than six times the financial gain on account of such theft of electricity..."

3. (b) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त **धारा–135** में उल्लिखित विद्युत चोरी के मुकदमों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक दण्ड के प्राविधानों के साथ ही अधिनियम–2003 की **धारा–154 (5)** के **निम्नलिखित प्राविधानों** का संज्ञान लेते हुए मा0 न्यायालयों में योजित मुकदमों में, उपर्युक्त बिन्दु संख्या–(2) में उल्लिखित राजस्व निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर, सिविल लाइबिलिटी भी तय कराया जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

धारा–154 (5) :–

"The [Special Court shall] determine the civil liability against a consumer or a person in terms of money for theft of energy which shall not be less than an amount equivalent to two times of the tariff rate applicable for a period of twelve months preceding the date of detection of theft of energy or the exact period of theft if determined whichever is less and the amount of civil liability so determined shall be recovered as if it were a decree of Civil Court."

4. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मा0 विशेष न्यायालयों में विद्युत चोरी के प्रकरणों में मा0 विशेष न्यायालयों में योजित मुकदमों में उपर्युक्त बिन्दु संख्या–(3) के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं एवं अपर जनपदीय शासकीय अधिवक्ताओं **(A.D.G.Cs.)** के माध्यम से विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक दण्ड के साथ ही **धारा–154 (5)** के अन्तर्गत सिविल लाइविलिटी/राजस्व निर्धारण भी तय कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5. वितरण निगमों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों हेतु मा0 न्यायालयों में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में विभाग की ओर से की जाने वाली पैरवी की गुणवत्ता का आकलन सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में दर्ज मुकदमों के निस्तारण एवं मा0 न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में, जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु सं0 **3 (a)** एवं **(b)** में विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मा0 विशेष न्यायालयों में योजित मुकदमों मे विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के प्राविधानों के अन्तर्गत आपराधिक दण्ड के साथ ही **धारा–154 (5)** के प्राविधानों के अन्तर्गत सिविल लाइबिलिटी तय कराये जाने का उल्लेख किया गया है, विभाग को हुए लाभ अथवा क्षति का आकलन भी वितरण निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

क्रमशः....3/–

इस सम्बन्ध में **वितरण निगम मुख्यालय स्तर** पर **निदेशक (वाणिज्य)/मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)** द्वारा **उपविधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी** के साथ विद्युत चोरी के विरूद्ध मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के निस्तारण का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकगणों द्वारा उपर्युक्त आदेशों का सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक आदेश एवं दिशानिर्देश निर्गत किये जाएं एवं उसका नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक यथोपरि।

अध्यक्ष
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्याः 900/मु0अभि0(वाणिज्य–II)/रेड इकाई/दिनांकः 24/08/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन)/निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
7. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य–II)